

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-वित्त/बजट) मध्यप्रदेश, प्रथम तल,  
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक/बजट कक्ष/4639  
प्रति

भोपाल, दिनांक 29/8/19

वनमंडलाधिकारी,  
हरदा उत्पादन वनमंडल  
मध्यप्रदेश।


विषय: मांग संख्या 10-2406-01-800-9999-0190-53-डिक्री धन का भुगतान (भारित)  
अंतर्गत बजट आवंटन वर्ष 2019-20  
संदर्भ: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश भोपाल का आदेश पृष्ठांकन  
क्रमांक/3638 दिनांक 21.08.2019

- 0 -

संदर्भित विषयांतर्गत उल्लेखित है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म0प्र0  
भोपाल के आदेश क्रमांक 296 दिनांक 21.08.2019 द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण  
जिला हरदा के प्रकरण क्रमांक 44/2015 श्री शर्मा पिता मोहन कोरकू में पारित आदेश के  
परिपालन हेतु राशि रूपये 50,000/- के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः मांग संख्या 10-2406-01-800-9999-0190-53-डिक्री धन का भुगतान  
(भारित) मद अंतर्गत राशि रूपये 50,000/-का बजट आवंटन किया जाता है।

कृपया उक्त आवंटित राशि का भुगतान माननीय न्यायालय के माध्यम से किया  
जाना सुनिश्चित करें एवं शासन का पक्ष मजबूती से रखें।


  
(विभाष कुमार ठाकुर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29/8/19

पृ.क्रमांक/बजट कक्ष/4640  
प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) म0प्र0 भोपाल की ओर प्रेषित।  
कृपया उक्त आवंटन पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय वृत्त होशंगाबाद मध्यप्रदेश।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)  
मध्यप्रदेश, भोपाल